

3-5-18

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार 2018 अदल
सेवा केंद्र चैन्नपुरा में पेश हुई। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वादी विगत
1 वर्ष से पत्रावली में सम्मन लक्षणा पेश
नहीं किया है। अब दावा आदेश 9
मियम 5 जा. दी. में स्वीकार किया
जाता है। पत्रावली केवल शुमार हो कर
दर्ज नम्बर से काम हो। वाद लक्षणा आदेश
दफ्तर दाखिल है। आदेश अदल सेवा केंद्र चैन्नपुरा
में सुनाया गया।

खण्ड अधिकारी
सांभरलेक